

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2025 — पौष 25, शक 1946

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2025/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11-क के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के नियम 9 के उप नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार नगर पालिक निगम के महापौर पद का आरक्षण अधिसूचित करता है :-

क्र. (1)	आरक्षण का वर्ग (2)	नगर पालिक निगम का नाम (3)
1.	अनुसूचित जाति	रायगढ़, रिसाली (महिला)
2.	अनुसूचित जनजाति	अंबिकापुर
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	भिलाई, भिलाई-चरौदा, बिलासपुर, दुर्ग (महिला)
4.	अनारक्षित (महिला)	रायपुर, कोरबा, बीरगांव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2025

क्रमांक एफ 1-1/2025/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2025/18 दिनांक 15-01-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th January 2025

NOTIFICATION

No. F 1- 1/2025/18.— In exercise of the powers conferred by Sub-rule (3) of Rule 9 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of office of Mayor & President) Rules, 1999 made under section 11-A of Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the state Government, hereby, notify the Reservation of the office of the Mayor of Municipal Corporation as per schedule given below :-

S. No. (1)	Category of Reservation (2)	Name of Municipal Corporation (3)
1.	Scheduled Caste	Raigarh, Risali (Female)
2.	Scheduled Tribe	Ambikapur
3.	Other Backward Class	Bhilai, Bhilai-Charoda. Bilaspur, Durg (Female)
4.	Unreserve (Female)	Raipur, Korba, Birgaon

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2025/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ख के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के नियम 9 के उप नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का आरक्षण अधिसूचित करता है :-

क्र. (1)	आरक्षण का वर्ग (2)	नगर पालिका का नाम (3)
1.	अनुसूचित जाति	अभनपुर, मंदिर हसौद, बागबाहरा, सारंगढ़, डोंगरगढ़, अकलतरा (महिला), जांजगीर नैला (महिला), पण्डरिया (महिला)
2.	अनुसूचित जनजाति	नारायणपुर, जशपुरनगर, बलरामपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा (महिला), बीजापुर(महिला)
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	दल्लीराजहरा, तिल्दानेवरा, बड़े-बचेली, लोरमी, कटघोरा, बेमेतरा, कोण्डागांव, कवर्धा, अहिवारा, मनेन्द्रगढ़ (महिला), कुम्हारी (महिला), सूरजपुर(महिला), गोबरानवापारा (महिला)
4.	अनारक्षित (महिला)	शिवपुरचरचा, तखतपुर, किरन्दुल, जामुल, खैरागढ़, बोदरी, बालोद, सरायपाली, बांकीमोंगरा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2025

क्रमांक एफ 1-1/2025/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2025/18 दिनांक 15-01-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th January 2025

NOTIFICATION

No. F 1- 1/2025/18.— In exercise of the powers conferred by Sub-rule (3) of Rule 9 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of office of Mayor & President) Rules, 1999 made under section 29-B of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the state Government, hereby, notify the Reservation of the office of the President of Municipal Council as per schedule given below :-

S. No. (1)	Category of Reservation (2)	Name of Municipal Council (3)
1.	Scheduled Caste	Abhanpur, Mandirhasoud, Bagbahra, Sarangarh, Dongargarh, Akaltara (Female), Janjgeer-naila (Female), Pandariya (Female)
2.	Scheduled Tribe	Narayanpur, Jashpurnagar, Balrampur, Sukma, Dantewada (Female), Bijapur (Female)
3.	Other Backward Class	Dallirajhara, Tildanewra, Badebacheli, Lormi, Katghora, Bemetara, Kondagaon, Kawardha, Ahiwara, Manendragarh (Female), Kumhari (Female), Surajpur (Female), Gobranawapara (Female)
4.	Unreserve (Female)	Shivpur-charcha, Takhatpur, Kirandul, JamulKhairagarh, Bodri, Balod, Saraipali, Bankimongra

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2025/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ख के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के नियम 9 के उप नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण अधिसूचित करता है :-

क्र. (1)	आरक्षण का वर्ग (2)	नगर पंचायत का नाम (3)
1.	अनुसूचित जाति	मारो, लवन, बिल्हा, नवागढ़ (बेमेतरा), भटगांव (सारंगढ़-बिलाईगढ़), नयाबाराद्वार, बेरला, सारागांव, नरियरा, अड़भार, फिंगेश्वर, बलौदा (महिला), पथरिया (महिला), पामगढ़ (महिला), सरसीवा (महिला), इंदौरी (महिला)
2.	अनुसूचित जनजाति	भैरमगढ़, बारसूर, भोपालपटनम्, फरसगांव, बगीचा, नरहरपुर, सीतापुर, कुसमी (बलरामपुर), कोतबा, राजपुर, अन्तागढ़, वाङ्गफनगर, केशकाल, दोरनापाल (महिला), कोण्टा (महिला), प्रतापपुर (महिला), पत्थलगांव (महिला), प्रेमनगर (महिला), डौण्डी (महिला), बस्तर (महिला)
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	पिपरिया, पखांजूर, शिवरीनारायण, किरोडीमलनगर, साजा, जनकपुर, समोदा, चन्द्रपुर, पवनी, लालबहादुर नगर, अम्बागढ़चौकी, बरेला, शिवनंदनपुर, कुनकुरी, माना-कैम्प, टुण्डरा, जरही, चिखलाकसा (महिला), दाढी (महिला), खोंगापानी (महिला), विश्रामपुर (महिला), छुरीकला (महिला), जरहागांव (महिला), कोटा (महिला), नवागढ़ (जांजगीर चांपा) (महिला), पाण्डातराई (महिला),
4.	अनारक्षित (महिला)	झगराखण्ड, आमदी, धमधा, मगरलोड, राहौद, मल्हार, बसना, खरोरा, छुरा, भखारा, बरमकेला, पुसौर, छुईखदान, थानखम्हरिया, लखनपुर, घुमका, पटना, डोंगरगांव, उतई, मरवाही

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2025

क्रमांक एफ 1-1/2025/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2025/18 दिनांक 15-01-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th January 2025

NOTIFICATION

No. F1- 1/2025/18.— In exercise of the powers conferred by Sub-rule (3) of Rule 9 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of office of Mayor & President) Rules, 1999 made under section 29-B of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the state Government, hereby, notify the Reservation of the office of the President of Nagar Panchayat as per schedule given below :-

S. No. (1)	Category of Reservation (2)	Name of Nagar Panchayat (3)
1.	Scheduled Caste	Maro, Lawan, Bilha, Nawagarh (Bemetara), Bhatgaon(Sarangarh-Bilaigarh), Nayabaradwar, Berla, Saragaon, Nariyara, Adbhar, Fingeshwar, Balouda (Female), Pathariya (Female), Pamgarh (Female), Sarsiwa (Female), Indouri (Female)
2.	Scheduled Tribe	Bhairamgarh, Barsur, Bhopalpattnam, Pharasgaon, Bagicha, Narharpur, Sitapur, Kusmi(Balrampur), Kotba, Rajpur, Antagarh, Wadrafnagar, Keshkal, Dornapal(Female), Konta (Female), Pratappur (Female), Patthalgaon (Female), Premnagar (Female), Doundi (Female), Bastar (Female)
3.	Other Backward Class	Pipariya, Pakhanjur, Shivrinarayan, Kirodimalnagar, Saja, Janakpur, Samoda, Chandrapur, Pawani, Lalbahadurnagar,Ambagarh-chouki, Barela, Shivnandanpur, Kunkuri, Mana camp, Tundra, Jarhi, Chikhlakasa (Female), Dadhi(Female), Khongapani (Female), Vishrampur (Female), Chhurikala (Female), Jarhagaon (Female), Kota(Female), Nawagarh (Janjgeer-champa) (Female), Pandatarai (Female),
4.	Unreserve (Female)	Jhagrakhand, Amdi, Dhamdha, Magarlod, Rahoud, Malhar, Basna, Kharora, Chhura, Bhakhara, Baramkela, Pusour, Chhuikhadan, Thankhamhariya, Lakhanpur, Ghumka, Patna, Dongargaon, Utai, Marwahi

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.